

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठसीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2021 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 01.01.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/2

मैसर्स वण्डर सीमेंट लि., पंजीकृत कार्यालय मकराना-रोड, मदनगंज किशनगढ़,
जिला अजमेर मुख्यालय-17, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर (राज.) तथा आर. के.
नगर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

-प्रार्थी

बनाम

- 1-प्यारीबाई पत्नि रतन भारती जाति गुसाई निवासी कारुण्डा, तहसील निम्बाहेडा,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-रतन पिता शम्भु भारती जाति गुसाई निवासी कारुण्डा, तहसील निम्बाहेडा,
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 3-आई. डी. बी. आई. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा रसुलपुरा, तहसील
निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-विपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956




उपस्थिति : 1- श्री नरेन्द्र कुमार नाहर, अधिवक्ता प्रार्थी
2- श्री अकबर हुसैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक 02.02.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने यह
आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि तहसील निम्बाहेडा में सीमेन्ट प्लान्ट
लगाने के लिए राज्य सरकार के खान विभाग द्वारा प्रधान खनिज रियायत
नियमावली, 1960 के नियम 22 (1), एम. एम. डी. आर. (संशोधन) एक्ट,
2015 एवं (खनिज, परमाणु और हाइड्रोकार्बन्स उर्जा से भिन्न) रियायत नियम,
2016 के अन्तर्गत खनिज लाईम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु निकट ग्राम
कारुण्डा, पायरी, धनोरा, मालियाखेडी की 255.0032 हेक्टेयर भूमि के लिये


जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 01/2021 (रि.वि.)
मै. वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम प्यारीबाई पत्नि रतन भारती निवासी कारुण्डा वगैरा

खनन कार्य करने हेतु खनन पट्टा अनुदान स्वीकृत किया, जिसकी लीज डीड प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में दिनांक 06.04.2018 को निष्पादित होकर उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी उक्त स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित खातेदारी की भूमि पर मुआवजा निर्धारण करा खनन कार्य करना चाहती है। प्रार्थी कम्पनी की माइनिंग लीज क्षेत्र में विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की निम्नांकित विवरण की आराजियात स्थित है:-


नाम ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (है. मे)	किस्म
कारुण्डा	785	0.38 है.	बीड

उक्त भूमि की प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट-उद्योग के लिये कच्चा माल लाइम स्टोन (सीमेंट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु आवश्यकता है। विपक्षीगण की खातेदारी भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी को सीमेन्ट उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सकेगा जिससे प्रार्थी कम्पनी द्वारा सीमेन्ट उत्पादन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा और सीमेन्ट उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की उल्लेखित कृषि भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिए इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 09.02.2021 निर्धारित कर विपक्षीगण को सूचना-पत्र जारी किये गये। सूचना पत्र तामील होने पर विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अधिवक्ता श्री अकबर हुसैन के मार्फत् उपस्थित होकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र एवं सहमति का जवाब प्रस्तुत कर उनके द्वारा कृषि भूमि पर जो बैंक का ऋण बकाया चल रहा था उसे विपक्षीगण के द्वारा जमा करा देने तथा विपक्षीगण को अन्यत्र स्थान पर भूमि कय करने हेतु अनुबंध किया होने एवं रूपयों की आवश्यकता होने से प्रकरण में शीघ्र अवाई आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होने तथा तहसीलदार निम्बाहेडा से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक निम्बाहेडा से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर प्राप्त होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी को सीमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिए राज्य सरकार के खान विभाग द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत खनिज लाईम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु खनन कार्य करने के लिए खनन पट्टा अनुदान स्वीकृत किया है। प्रार्थी कम्पनी की माइनिंग लीज क्षेत्र में विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की भूमि की प्रार्थी कम्पनी को माइनिंग प्रयोजनार्थ आवश्यकता है, जिससे राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा




जिला कलेक्टर
वितीहगढ़



प्रकरण संख्या 01/2021 (रे.वि.)
मै. वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम प्यारीबाई पत्नि रतन भारती निवासी कारुण्डा वगैरा

89 के तहत खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा निर्धारण कराया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी कम्पनी पारित अवाई अनुसार विपक्षीगण को अपनी कृषि भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। अतः उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारण कराया जाकर अवाई आदेश पारित फरमाया जावे व बाद भुगतान मुआवजा राशि भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाने व राजस्व अभिलेखों में भूमि प्रार्थी कम्पनी के नाम खनन प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि विपक्षीगण की कृषि भूमि की मुआवजा राशि स्वरूप वर्तमान प्रचलित बाजार दर एवं अन्य देय परिलाभों के साथ उचित मुआवजा राशि दिलाई जावे तो उक्त भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य हेतु देने को सहमत है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उचित मुआवजा राशि व अन्य परिलाभ दिलाने पर, प्रार्थी कम्पनी को भूमि देने में सहमति दी है तथा उक्त भूमि पर जो ऋण बकाया था उसे विपक्षी संख्या 3 आई. डी. बी. आई. बैंक शाखा रसुलपुरा को चुका कर नोड्यूज प्रस्तुत कर दिया गया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार इस भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	संरचना विवरण	कीमत संरचना (रूपये में)
	संरचनाओं का कुल योग	0

उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की दर 2000862/-रूपये प्रति हैक्टेयर होना बताया है किन्तु भूमि का खनन प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर का दुगुना 4001724/-रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जाना उचित मानते हैं। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार संरचनाओं की कीमत व उक्तानुसार भूमि का निम्नानुसार मुआवजा निर्धारण किया जाता है:-

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल (है. में)	प्रति हैक्टेयर (रु. में)	देयराशि (रु. में)
कारुण्डा	785	0.38 है.	4001724	1520655
			कीमत संरचनाएं	0
			योग	1520655
			100 % सोलिशियम	1520655
			कुल देय राशि	3041310

अक्षरे तीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ दस रूपये मात्र/-



ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್
ರಾಜ್ಯ
ರಾಜ್ಯ
ರಾಜ್ಯ



अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'



(के. के. शर्मा)
02.02.2021
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़